सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.04.2024

निर्माणाधीन प्लाट से मोटर की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर एवं अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना बकेवर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.04.2024 को वादी अंकित पुत्र परमानन्द निवासी उझियानी छतनापुरा रोड थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि दिनांक 13.04.2024 को छतनापुर रोड पर उसके प्लाट पर निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी मोटर रात्रि में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है, **सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 119/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 18.04.2024 को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा **02 व्यक्तियों को उझियानी पुल के पास से समय 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्तियों की पुलिस द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो प्रशान्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया एवं अनुज कुमार के कब्जे से 01 मोटर बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह मोटर हम लोगों ने मिलकर दिनांक 13.04.2024 को छतनापुर रोड पर बन रहे एक प्लाट से चोरी की थी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2024 धारा 379 भादवि में धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रशान्त कुमार पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम नगला चन्दी थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 29 वर्ष**
2. अनुज कुमार पुत्र सतेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नगला चन्दी थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 119/2024 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र बलराम सिंह

1. मु0अ0स0 667/16 धारा 13 G ACT थाना बकेवर जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 531/18 धारा 304B/498A IPC थाना बकेवर जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 119/24 धारा 379/411 IPC 3/25 A ACT थाना बकेवर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना बकेवर, उ0नि0 मोहनवीर, हे0का0 कुलदीप कुमार, का0 भूपेन्द्र कुमार, का0 रोहित तोमर, चालक का0 सचिन फौजदार।